प्रपत्र –5

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

उनवान

1.धन्नालाल पुत्र छीतर जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.हीरालाल पुत्र छीतर जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.रूपनारायण पुत्र जन्शी जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2.रामबिलास पुत्र जन्शी जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3.मोजीराम पत्र जन्शी जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4.छीतर पुत्र गजानन्द जाति मीना निवासी बिशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादी

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 12 वर्ष 2015

वादी की ओर से श्री बी0एल0कासलीवाल वकील प्रतिवादीगण की और से श्री बी0पी0मीणा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 12.12.2015 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख0न0 206/1.33, 207/1.25 है0 वाके ग्राम बिशनपुरा प0ह0 बोसरियां की पत्थरगढी टीम गठित कर दोनों पक्षों की उपस्थिति मे करवावे। फरिकेन खर्च अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 सन् 2015 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner

12-12-2015

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया। वादीगण के वकील का कथन है कि आराजी ख० न० $\frac{206}{1-33}$, $\frac{207}{1-25}$ है० वाके ग्राम बिशनपुरा प० ह० बोसरिया वादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। पूर्व में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान करवा दिया गया था परन्तु वे दखलंदाजी करने पर आमादा है। उभय पक्ष वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु सहमत है अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे आराजी ख० न० $\frac{206}{1-33}$, $\frac{207}{1-25}$ है० वाके ग्राम बिशनपुरा प० ह० बोसरिया की पत्थरगढ़ी टीम गठित कर दोनो पक्षो की उपस्थिति में करवावे। पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्चा अपना -2 वहन करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक